

41/2021

15-12-2023 वादी एवं उनके वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई। वादी स्वयं द्वारा उपस्थित होकर अपना वाद जरिये राजीनामा के विद्धो करने का निवेदन किया।

वादी एवं उनके वकील की बहस है कि उक्त वाद में पक्षकारान के मध्य गांव के मौजिज व्यक्तियों एवं आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है। अतः लोकहित की भावना से प्रेरित होकर हम अपनी ओर से प्रस्तुत उक्त वाद को विद्धो करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वाद जरिये राजीनामा के विद्धो किया जाये।

हमने वादी वकील के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, चूंकि पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश एवं लोकभावना से प्रेरित होकर राजीनामा किया जाकर उक्त वाद को जरिये विद्धो खारिज करवाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में लोकभावना को दृष्टिगत वादीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना अदालत उचित समझती है।

अतः वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त वाद इसी स्तर पर जरिये राजीनामा विद्धो के खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।


SDO सिणधरी


SDO सिणधरी

